

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर- 365/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री रंग लाल पुत्र भवाना बैरवा निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा-राज0

-प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती उगमी पत्नी मांगू बैरवा, निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा-राज0
2. भगवान लाल पुत्र सुवा बैरवा निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा-राज0
3. तहसीलदार, भीलवाडा-राज0

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 04.10.2022

उपस्थित-1- किशन लाल कुमावत - प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगवा, पटवार हल्का सांगवा, भू.अभि.नि. क्षेत्र कारोईकलां में कृषि भूमि खाता संख्या 363 में स्थित आराजी नं. 2293/1245 कुल किता 01 रकबा 0.3161 हैक्ट. भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 ग्राम सांगवा, पटवार हल्का सांगवा, भू.अभि.नि. क्षेत्र कारोईकलां में कृषि भूमि खाता संख्या 363 में स्थित आराजी नं. 2293/1245 कुल किता 01 रकबा 0.3161 हैक्ट. भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं


// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगवा, पटवार हल्का सांगवा, भू.अभि.नि. क्षेत्र कारोईकलां में कृषि भूमि खाता संख्या 363 में स्थित आराजी नं. 2293/1245 कुल किता 01 रकबा 0.3161 हैक्ट. भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 100/- रुपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक कारोईकलां 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर

ले हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही पारार्धीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।


अतः भू0अ0नि0 कारोईकलां जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्या मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।


(अमि प्रमा)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में साया गया।


उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा